

9 प्राची अधिवक्ता को अप्राचीगत के नोटिस पत्र पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए गए लेकिन प्राची अधिवक्ता द्वारा नोटिस पत्रा नहीं किए गए। न्यायालय सत्र के दौरान बार-बार बन्क-रुक का प्राची अधिवक्ता को आवाजे लगाई गई लेकिन प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राची प्राचीना पत्र को आगे चलाने में रुचि नहीं रखता है। अतः प्राचीना पत्र 212 R.A को अदालत परी अदालत धजरी में शरीर किया जाता है।

पतावली कैबल शुभा

धकर नम्बर से एक कद

मुलाकाद पतावली के साथ उत्प्रे ही

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनारक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी